संख्याः 786/XXVIII-2/2014/01(45)2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

देहरादूनः दिनांक 23 जून, 2015

चिकित्सा अनुभाग-2

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में छः माह के सोनोग्राफी प्रशिक्षण हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को दिशानिर्देश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8प/रा0का0/प0क0/पी0एन0डी0टी0/5/2013/32573, दिनांक 24.12.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में छः माह के सोनोग्राफी प्रशिक्षण हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को दिशानिर्देश प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2- इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.01.2014 को जारी भारत का राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड(प) प्राधिकार के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) द्वारा अधिसूचना 'गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994' में संशोधन करते हुए, 'गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक(लिंग चयन प्रतिषेध) (छः माह प्रशिक्षण)नियम, 2014' निर्धारित किया गया है, के अनुपालनार्थ उत्तराखण्ड राज्य में सोनोग्राफी प्रशिक्षण हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को सूचना विवरणिका में समायोजित करने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश दिये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः-

1. "गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (6 माह प्रशिक्षण) नियम 2014" छः माह (300 घण्टे) का होगा।
2. "गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)(6 माह प्रशिक्षण) नियम 2014" प्रशिक्षण को "The Fundamentals in Abdomino-pelvic Ultrasonography: Level one for MBBS Doctors" के नाम से जाना जाएगा।
3. "गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)(6 माह प्रशिक्षण) नियम 2014" प्रशिक्षण भारतवर्ष के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशो में मान्य होगा।
4. "गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)(6 माह प्रशिक्षण) नियम 2014" प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना व एम0सी0आई0 मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थान से एम0बी0बी0एस0 डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है।
5. "गर्भाधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)(6 माह प्रशिक्षण) नियम 2014" प्रशिक्षण हेतु परीक्षा पत्र UKPGMEE 2016 के मैरिट के अनुसार ही होगा। छः माह के अल्ट्रासाउण्ड प्रशिक्षण हेतु अलग से परीक्षा नहीं होगी।
6. UKPGMEE 2016 की परीक्षा कराने हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा विश्वविद्यालय, देहरादून को अधिसूचित किया गया है।
7. छः माह के अल्ट्रासाउण्ड प्रशिक्षण हेतु चयन का आधार एक एकीकृत मैरिट व्यवस्था होगी। जिसमें वर्ष भर के दोनो बैचों का चयन कुल 18 सीटों (कुल 9 अभ्यर्थी प्रति बैच) पर एकीकृत मैरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

8. छः माह के अल्ट्रासाउण्ड प्रशिक्षण हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रशिक्षण शुल्क सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी हेतु रू 20000 (बीस हज़ार रूपये मात्र) तथा हिमालयन इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसैज जौलीग्रांट देहरादून हेतु रू 60000(साठ हज़ार रूपये मात्र) है ।
9. पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के लिए प्रति बैच 2 सीट (कुल 4 सीट वर्षभर के लिए) तथा ओपन सीट (गैर पी०एम०एच०एस० संवर्ग) के अभ्यर्थियों के लिए प्रति बैच 7 सीट (कुल 14 सीटें) आरक्षित है ।
10. प्रशिक्षण शुल्क पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के रू 20000(बीस हज़ार रूपये मात्र) का भुगतान वर्तमान समय में एन0आर0एच0एम0 के माध्यम से किया जाएगा तथा ओपन सीट के अभ्यर्थी के लिए रू 40000 (चालीस हज़ार रूपये मात्र) का भुगतान उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ओपन सीट के अभ्यर्थी को रू 20000 प्रशिक्षण शुल्क स्वंय वहन करना होगा।
11. पी०एम०एच०एस० संवर्ग का चिकित्साधिकारी यदि ओपन सीट पर चयनित होता है तब प्रशिक्षण का समस्त शुल्क अभ्यर्थी को स्वंय वहन करना होगा तथा नियमानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
12. अभ्यर्थी की उम्र दिनांक–31 मार्च, 2016 को 45 वर्ष के अधिक ना हो तथा पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियो के लिए विभाग में मौलिक रूप से पाँच वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की हो तथा कोई प्रतिकूल प्रवृष्टि ना हो (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के लिए प्रारूप संलग्न है जो नियंत्रक अधिकारी द्वारा भर कर दिया जाना है)
13. पी०एम०एच०एस० संवर्ग के चिकित्साधिकारियों के लिए एम०सी०आई० के रेगूलेशन 09 के अनुसार दुर्गम/अति दुर्गम के एक वर्ष हेतु 10 प्रतिशत, दो वर्ष हेतु 20 प्रतिशत तथा तीन वर्ष हेतु 30 प्रतिशत को प्राप्त अंको के आधार पर अधिमान्य दिया जाना है।
14. अध्ययन हेतु नामित पी०एम०एच०एस० संवर्ग (ओपन सीट से आने वाले पी०एम०एच०एस० संवर्ग के लिए मान्य नहीं) के चिकित्साधिकारी को ड्यूटी पर माना जाएगा तथा किसी भी परिस्थिति में स्नातकोत्तर/डिप्लोमा वेतन भत्ता अुनमन्य नहीं होगा।
15. अध्ययन में प्रवेश, प्रशिक्षण, लाईब्रेरी तथा प्रशिक्षण शुल्क से सम्बंधित व्यय अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा तथा प्रशिक्षण की अवधि 6 माह (300 घण्टे) होगी। इसके अतिरिक्त रहने व भोजन आदि का व्यय भी अभ्यर्थी द्वारा स्वंय ही वहन किया जाएगा।
16. प्रशिक्षण हेतु सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी तथा हिमालयन इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देहरादून को उक्त प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है। जिसमें राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी में कुल 4 सीटें तथा हिमालयन इस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस देहरादून में कुल 5 सीटें अधिसूचित की गयी है। अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित Security Money जमा करनी होगी।
17. प्रशिक्षण के उपरान्त पी०एम०एच०एस० संवर्ग के सम्बंधित चिकित्साअधिकारी अपनी मूल तैनाती स्थान पर अथवा जिस केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध है पर ही कार्यभार ग्रहण करेगा तथा प्रशिक्षण अवधि के वेतन–भत्ते उनकी मूल तैनाती स्थान से आहरित किये जाएगें।
18. प्रशिक्षण के उपरान्त ओपन सीट वाले अभ्यर्थी को 05 वर्ष राजकीय चिकित्सालय में अनिवार्य रूप से सेवा प्रदान करनी होगी जिसके लिए अभ्यर्थी को संविदा चिकित्साधिकारी के अनुरूप दुर्गम/अतिदुर्गम के अनुसार मानदेय दिया जाएगा।
19. प्रशिक्षण ज्वाइन करने के पश्चात् जो अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के) स्वेच्छा से अपने अनुरोध पर प्रशिक्षण छोडकर वापस चले जाएगें उनसे प्रशिक्षण पर होने वाले समस्त व्यय की प्रतिपूर्ति उनके वेतन से कर ली जाएगी।
20. अभ्यर्थी से इस आशय का एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराया जायेगा कि छः माह के प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चिकित्सक को 5 वर्ष तक वर्तमान सेवा शर्तो में उत्तराखण्ड के विशेषज्ञ पदों (अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट) पर मौलिक रूप से बने रहना अनिवार्य होगा अन्यथा वे समस्त खर्च, जिसमें अध्ययन अवधि का वेतन (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के) इत्यादि भी सम्मिलित होगा, निर्धारित दर पर लौटा देगें। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियो (पी०एम०एच०एस० संवर्ग तथा ओपन सीट अभ्यर्थी) को हर्जाने के रूप में 30 लाख रूपये (मात्र तीस लाख रूपये) देने होगे। इस आशय का एक Legally Enforceable Document Register कराया जाएगा।
21. अध्ययन हेतु आवेदन वही अभ्यर्थी कर सकते है जिनके द्वारा पूर्व में कोई डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त न किया हो।

Scanned by CamScanner

कार्यालय
ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
ई–मेल: dghealth uttarakhand@gmail.com दूरभाष: 0135–2608746

22. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के लिये लागू व्यवस्थानुसार ऊपरी आयु सीमा मे 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी तथा आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षण समय–समय पर प्रवृत्त सरकार के आदेश के अनुसार अनुमन्य होगा। (उपरोक्त शर्तो से सम्बन्धित शासनादेश/आरक्षण तथा एम0सी0आई0 का भारत का राजपत्र की प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी)।
23. पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के समय नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
24. परीक्षा आयोजन हेतु वित्तीय स्थिति एवं अन्य विवरण:–

- सम्पूर्ण परीक्षा सम्पादित करने का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त सम्बन्धित शासनादेशों/आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशो काउन्सलिंग का कार्य भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।
- उक्त परीक्षा एवं काउसलिंग हेतु विश्वविद्यालय को धनराशि उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में परीक्षा से पूर्व एम0ओ0यू0 के पश्चात् उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय छः माह के प्रशिक्षण हेतु (कुल 18 सीटों पर) चयनित अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची महानिदेशालय को उपलब्ध करायेगें।

कृपया उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रकरण पर यथानियम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या:998/XXVIII–2/2014/01(45)2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महालेखाकार, ऑवरॉय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
4. निजी सचिव–मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव–सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. डीन/प्रधानाचार्य, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी/हिमालयन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरादून।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(अनिल जोशी)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner